भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3314

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**लोकसभा और विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराया जाना**

**+3314. श्री प्रभात झा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निर्वाचन आयोग से देश में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (घ) :** कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्‍याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्‍थायी समिति ने विभिन्‍न पणधारियों, जिसके अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग भी है, के परामर्श से लोक सभा और राज्‍य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ कराने के मुद्दे की जांच की थी । समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं । इसके अतिरिक्त, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 का संशोधन अपेक्षित होगा ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*